



2026/AHC:61204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3465/2026

अखिलेश चौहान

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

मानवेंद्र नारायण पाठक

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनवेंद्र नारायण पाठक और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए0जी0ए0 श्री बी0पी0 मोर्य की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक अखिलेश चौहान की ओर से दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5-ए/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के तहत पुलिस स्टेशन बंकाटा, जिला देवरिया में दर्ज अपराध संख्या 0149/2025 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आवेदक उस वाहन का मालिक बताया जा रहा है जिससे 8 जीवित गायें बरामद की गई हैं। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी रियाजुद्दीन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3326/2026 में दिनांक 6.2.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 19.12.2025 से जेल में बंद है और वह वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक का सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5. जवाब में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि एक मामला गौहत्या अधिनियम का है और अन्य सभी मामले छोटे और जमानती अपराधों के हैं तथा गवाह, जो एक महिला है, जमानत आदेशों की प्रति प्राप्त करने में असमर्थ रही है।

6. बताया जा रहा है कि आवेदक उस वाहन का मालिक है जिससे 8 जीवित गायें बरामद की गई हैं। आवेदक 19.12.2025 से जेल में बंद है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त मामले में आरोपी **अखिलेश चौहान** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अवर न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"